129

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्याः /XXVIII-3-2011-210/2002

देहरादूनः दिनांक 20 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का संख्या नं0-8) की धारा 3 के खण्ड (h), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय भेषजी परिषद के लिए पंजीकृत भेषजज्ञ डा0 प्रीति कोठियाल, प्रोफेसर, फार्माकलोजी विभाग (फैकल्टी ऑफ फार्मेसी), डी0आई0टी0, देहरादून को राज्य सरकार के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृ0संख्याः 974 /XXVIII-3-2011-210/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरखण्ड शासन।
4. निजी सचिव-मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. रजिस्ट्रार, फार्मेसी काउंसिल, नई दिल्ली।
7. रजिस्ट्रार, भेषजी परिषद उत्तराखण्ड।
8. समस्त सदस्य भेषजी परिषद, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
10. औषधि नियंत्रक, उत्तरखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाय।
12. एन0आई0सी0।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
अपर सचिव।

E:\sarita\SARITA\2011\official order.doc

128

संख्या 848/XXIV-2/11-9(11)/2008

प्रेषक,

सुबर्द्धन
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 20 सितम्बर, 2011

विषय- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/ शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ दिये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 329/XXIV-2/2007 दिनांक 08.04.2011 के प्रस्तर-4 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/ शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यो को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक पुनर्नियुक्ति संबंधी शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 694/XXIV-2 /2007 दिनांक 30 नवम्बर, 2007, एवं शासनादेश संख्या 470/XXIV-2 /2007 दिनांक 18 मई 2011 को अतिकमित करते हुए शासनादेश सं0 329/XXIV-2/2007 दिनांक 8 अप्रैल 2011 के प्रस्तर 4 में यह व्यवस्था की गई है कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 (क) में संशोधन के विषय में व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से लागू होगी।

2- उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल नियम 56 (क) में वित्त विभाग द्वारा यथासमय संशोधन किया जायेगा।